न्यायालय :– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–त्रयोदश, छपरा।

सत्र वाद न0 – 156/2022.
(सी.आई.एस.न0 – 156/2022)

राज्य सरकार ––––––––– बनाम ––––––– रोहित कुमार सिंह ।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
03.08.2022.	काराधीन आवेदक अभियुक्त रोहित कुमार सिंह जो सोनुपर थाना काण्ड सं0–501/2022. अन्तर्गत धारा–341, 324, 326, 307, 447, 379, भा0 द0 वि0 एवं परिवर्तित धारा–302 भा0 द0 वि0 के सम्बंध में दिनांक–05.09..2021. से कारा अभिरक्षा मे है, की ओर से दाखिल दिनांक–02.08.2022. के जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे झूंठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से इसके पूर्व अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय मे दाखिल नही किया गया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है। आवेदक अभियुक्त को गिरफतार कर दबाव बना कर स्वीकारोक्ति बयान लिया गया। इस वाद के सह अभियुक्त नन्दु कुमार को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा कि0 मी0 न0–17968/2022. मे पारित आदेश दिनांक–21.07.2022. के द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–11.05.2022. को आरोप का गठन किया जा चुका है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। सूचक उज्जवल कुमार सिंह के फर्द बयान के आधार पर अभियोजन कथन संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक–26.08.2021. को समय करीब 21 बजे सूचक के पिता जी कृष्णा सिंह दुकान बन्द करके अपने साईकिल से जाने वाले थे तभी विकम टेम्पु से तीन अज्ञात ब्यक्ति आये और एक ब्यक्ति सूचक के पिताजी को पकड़ लिया और दो ब्यक्ति उन पर आगे पीछे दोनो तरफ से चाकू से वार करने लगा। उनके गले से सोने का चैन एवं हनुमान जी का लॉकेट तथा पॉकेट से पांच हजार रूपया छिन लिया। उनको जान मारने की नियत से तेरह–चौदह जगह पर चाकू मारा गया, जब उनको लगा कि वे मर गये तो वहीं पर पटक कर तीनो विकम टेम्पु से भाग गये। उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दिनांक–26.08.2021. को 09.00 बजे रात्रि में सूचक के पिता की चाकू मारकर जख्मी कर देने, गले से सोने का चेन, लॉकेट एवं पॉकेट से 5000/रूपया ले लेने के सम्बंध मे दर्ज है। ईलाज के कम मे सूचक के पिता की मृत्यु पर धारा–302 भा0 द0 वि0 को भी वाद मे जोड़ा गया। अनुसंधान के कम मे आवेदक अभियुक्त एवं अन्य की संलिप्तता आई है। वाद में आवेदक अभियुक्त रोहित कुमार सिंह के दोष	

लगातार ... 03.08.2022.	स्वीकारोक्ति बयान भी है और इसके आधार पर वाद मे प्रयुक्त चाकू भी बरामद हुआ है जो जप्ती सूची से स्पष्ट है। काण्ड दैनिकी के विभिन्न पैरा में साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। काण्ड दैनिकी मे उपलब्ध सामग्री के आधार पर आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध भा0 द0 वि0 की धारा—341, 324, 326, 302, 447, 307, 379/34. मे आरोप का गठन भी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को ध्यान मे रखते हु आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल दिनांक—02.08.2022. के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—XIII, सारण, छपरा।	